

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लवाण जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :- बृजेन्द्र मीना R.A.S (अति. कार्यभार)
प्रकरण संख्या :- 07/2022
प्रकरण दायर दिनांक :- 30.05.2022

1. प्रेमलता पत्नि दुर्गासहाय
2. मीरा देवी पत्नि नहनूलाल
3. हीरा पत्नि जौहरीलाल

समस्त जाति खटीक निवासी लवाण तहसील लवाण जिला दौसा

(प्रार्थीयागण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील लवाण जिला दौसा राजस्थान
(अप्रार्थी)



प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956
बाबत पत्थरगढी कराने बाबत

उपस्थिति :- श्री विष्णु कुमार शर्मा , अधिवक्ता प्रार्थीयागण।

:: निर्णय ::

दिनांक : 17.06.2022

उक्त प्रकरण में संक्षिप्त वृत्तान्त इस प्रकार है कि आराजी ख.न. 3072 रकबा 0.2500 है0, ख.न. 3073 रकबा 0.3300 है0, ख.न. 3074 रकबा 0.2800 है0, ख.न. 3075 रकबा 0.0700 है0, ख.न. 3076 रकबा 0.0300 है0, ख.न. 3077 रकबा 0.1500 है0, ख.न. 3078 रकबा 0.4000 है0 कुल कित्ता 07 कुल रकबा 1.5100 है0 भूमि वाके ग्राम पूर्वियावास पटवार हल्का पूर्वियावास तहसील लवाण जिला दौसा में स्थित है। आराजी के प्रार्थीयागण

उप जिला कलक्टर
लवाण

रिकार्डेड सह खातेदार है। उक्त आराजी पर किसी भी अन्य का कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थीयागण ने दिनांक 28.06.2019 को तहसीलदार लवाण के द्वारा सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की कब्जे काश्त की भूमि पर माननीय न्यायालय के माध्यम से पत्थरगढी करवाना चाहता है। अतः प्रार्थीगण ने अपने कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की कृषि भूमि आराजी ख.न. 3072 रकबा 0.2500 है0, ख.न. 3073 रकबा 0.3300 है0, ख.न. 3074 रकबा 0.2800 है0, ख.न. 3075 रकबा 0.0700 है0, ख.न. 3076 रकबा 0.0300 है0, ख.न. 3077 रकबा 0.1500 है0, ख.न. 3078 रकबा 0.4000 है0 कुल किता 07 कुल रकबा 1.5100 है0 भूमि वाके ग्राम पूर्वियावास पटवार हल्का पूर्वियावास तहसील लवाण जिला दौसा का मय पुलिस इमदाद सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अ.धारा 128 एलआरएक्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार लवाण की जरिये नोटिस के तलवी की गई एवं जांच रिपोर्ट तलब की गई।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। तहसीलदार लवाण से प्राप्त जांच रिपोर्ट, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार लवाण ने अपनी रिपोर्ट में ग्राम पूर्वियावास पटवार हल्का पूर्वियावास तहसील लवाण जिला दौसा स्थित आराजी ख.न. 3072 रकबा 0.2500 है0, ख.न. 3073 रकबा 0.3300 है0, ख.न. 3074 रकबा 0.2800 है0, ख.न. 3075 रकबा 0.0700 है0, ख.न. 3076 रकबा 0.0300 है0, ख.न. 3077 रकबा 0.1500 है0, ख.न. 3078 रकबा 0.4000 है0 कुल किता 07 कुल रकबा 1.5100 है0 भूमि को प्रार्थीगणों की

राजस्व रिकार्ड अनुसार कब्जे काश्त की खातेदारी मानते हुए, दिनांक 26.8.2019 को सीमाज्ञान किया जाना अवगत करवाया गया है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा मीचरानो पर तहसीलदार लवाण द्वारा पत्थरगढी के आदेश दिये जाने के संबंध में अपनी अनापत्ति जाहिर की गई है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।





उप जिला कलेक्टर
लवाण

प्र.स.:- 07/2022
दायर दिनांक:- 30.05.2022
निर्णय दिनांक :- 17.06.2022

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लवाण को आदेश दिये जाते है कि ग्राम पूर्वियावास पटवार हल्का पूर्वियावास तहसील लवाण जिला दौसा स्थित आराजी ख.न. 3072 रकबा 0.2500 है0, ख.न. 3073 रकबा 0.3300 है0, ख.न. 3074 रकबा 0.2800 है0, ख.न. 3075 रकबा 0.0700 है0, ख.न. 3076 रकबा 0.0300 है0, ख.न. 3077 रकबा 0.1500 है0, ख.न. 3078 रकबा 0.4000 है0 कुल किता 07 कुल रकबा 1.5100 है0 भूमि की पत्थरगढी करने हेतु अनुभवी पटवारियो/गिरदावरो की टीम गठित की जाकर पत्थरगढी की जावे तथा प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार लवाण को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।



निर्णय दिनांक 17.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में मुनाया किया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


बृजेन्द्र मीना (अति. कार्यभार)
उप जिला कलेक्टर
लवाण अधिकारी
लवाण